# विद्यालयी पाठ्यचर्या में प्रात:कालीन सभा का महत्व
## एक अनुभव

सुरभि चावला*

औपचारिक विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था देश की शिक्षा नीति एवं पाठ्यचर्या रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों की नियोजित शृंखलाओं का अनुपालन करती है। इस शृंखला में 'प्रातःकालीन सभा का आयोजन' एक महत्वपूर्ण गतिविधि है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशंसित 'पंचकोशीय विकास' की अवधारणा को साकार रूप प्रदान करती है। 'विद्यालय अनुभव कार्यक्रम' के दौरान भिन्न-भिन्न विद्यालयों में प्रातःकालीन सभाओं में हो रही गतिविधियों के अवलोकन का अवसर मिला। प्रस्तुत आलेख में उन अनुभवों के आधार पर प्रातःकालीन सभा के आयोजन, स्वरूप एवं महत्व पर प्रकाश डाला गया है, साथ ही क्रियान्वयन से जुड़े कुछ व्यावहारिक सुझाव भी रेखांकित किए गए हैं।

शिक्षा मानवीय समाज की प्रगति एवं विकास का मुख्य आधार स्तंभ है। एक समय ऐसा था जब घर-परिवार पर शिक्षा देने का उत्तरदायित्व था पर सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के साथ यह उत्तरदायित्व 'विद्यालय' पर आ गया। घर-परिवार और विद्यालय दोनों ही संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली शिक्षा का लक्ष्य इस तथ्य तक सीमित नहीं है कि बच्चों को कुछ विषयों का ज्ञान भर दे दिया जाए, अपितु उन्हें ऐसे नागरिक के रूप में विकसित होने के अवसर दिए जाएँ जो—

- स्वयं की क्षमताओं की पहचान कर उन्हें संवर्धित करने की दिशा में प्रयत्नशील होकर कार्य करें।
- शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक-सांस्कृतिक, आध्यात्मिक विकास के अवसरों का सृजनशील होकर लाभ उठाएँ।
- अपनी क्षेत्रीय संस्कृतियों, आचार-विचार को समझते हुए बहु-सांस्कृतिक समाज की सराहना कर सकें।
- समानता-समता, न्याय जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हुए उन पर आचरण कर सकें।
- अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहकर संविधान में निदित सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर सकें।
- शांति और सौहार्दपूर्ण और सह-अस्तित्व जैसे मूल्यों से संबद्धता स्थापित कर सकें।
- स्थानीय के साथ-साथ वैश्विक परिदृश्यों के प्रति

*संकाय अध्यापक, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वीमेन, दिल्ली विश्वविद्यालय 110 024

समझ बनाते हुए सृजनशील और चिंतनशील नागरिक बनें।

इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालयी शिक्षा एक निश्चित पाठ्यचर्या का अनुपालन करती है। पाठ्यचर्या वह योजना है, जो विद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों का संगठित रूप होती है। यह केवल कक्षा-शिक्षण और पाठ्यपुस्तकों के अध्ययन तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसमें उन गतिविधियों को भी शामिल किया जाता है, जो विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास (शारीरिक, मानसिक और सामाजिक) को बढ़ावा देती हैं। इनमें प्रातः सभा, बाल सभा, शैक्षिक भ्रमण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामुदायिक सेवा, बागवानी आदि जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं, जो विद्यार्थियों को न केवल अकादमिक ज्ञान देती हैं, बल्कि उनकी व्यक्तित्व विकास और सामाजिक जिम्मेदारी को भी सुदृढ़ करती हैं।

## पाठ्यचर्या की नियमित गतिविधि— प्रात: कालीन सभा का आयोजन

हमारे देश के शहरी क्षेत्रों के विद्यालय हों अथवा ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालय, सामान्यत: पर हर क्षेत्र के विद्यालयों में दिन का आरंभ प्रात:कालीन सभा के आयोजन से ही होता है। अपने विद्यार्थी जीवन में प्रात:कालीन सभा के आयोजन में मेरी सक्रिय भूमिका रही भिन्न भिन्न रूपों में स्वत: इस बात का संज्ञान हुआ कि बहुत से सामाजिक रूप से वांछनीय मूल्य जैसे पारस्परिक सहयोग, स्वत: निर्देशन, समूह भावना समय प्रतिबध्दता आदि विकसित हुए। अपने से बड़ों एवं अपने समकक्ष के साथ संवाद करने का कौशल विकसित हुआ। ऐसा इसलिए हो पाया, क्योंकि प्रात:कालीन सभा में बहुविध प्रकार की गतिविधियाँ सम्मिलित की जाती हैं, जैसेकि गीत, व्यायाम विचारों को प्रस्तुति आदि से सभी गतिविधियों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशंसित मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों, जैसे— सेवा, अहिंसा, स्वच्छता, सत्य, शांति, त्याग, सहिष्णुता, विविधता, बहुलवाद नैतिक आचरण, शिष्टाचार, देशभक्ति आदि के विकास में सहायक हैं।

## प्रात:कालीन सभाओं का अवलोकन

पूर्व अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में 'विद्यालय अनुभव कार्यक्रम' एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। इसके अंतर्गत अध्यापक प्रशिक्षु भिन्न-भिन्न विद्यालयों में चल रही समस्त गतिविधियों का संचालन करते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं कि वे सभी गतिविधियों का आयोजन करने का अनुभव प्राप्त करते हैं। अध्यापक शिक्षक के रूप में उनकी सहभागिता, आयोजन कौशल का अवलोकन अनिवार्य रूप से किया जाता है।

विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के अंतर्गत इस अकादमिक वर्ष 2023–24 में दिल्ली राज्य के विभिन्न विद्यालयों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रत्येक विद्यालय में प्रात:कालीन सभा जिसे 'प्रार्थना' या 'असेंबली' के नाम से अधिक जाना जाता है, का संचालन और क्रियान्वयन होते हुए देखा। यहाँ दो विद्यालयों की प्रात:कालीन सभा में क्रियान्वित की जा रही गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

***दिल्ली के दक्षिणी जिले का विद्यालय 1***

इलेक्ट्रॉनिक घंटी (सायरन जैसी ध्वनि) के बजते ही विद्यालय परिसर में उपस्थित विद्यार्थी खुले मैदान में कक्षावार एकत्र होने लगे। कुछ विद्यार्थी दौड़-दौड़कर आ रहे थे, कुछ छोटी-छोटी टोलियों में बातचीत करते हुए मौजमस्ती के साथ आ रहे थे।

इस विद्यालय में देखा गया कि वरिष्ठ कक्षाओं के विद्यार्थी छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों को शीघ्र पहुँचने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। वे उन्हें अपने नियत स्थान पर खड़े होने के लिए भी निर्देश दे रहे थे। सभा स्थल पर अभी तक एक भी अध्यापक की उपस्थिति दिखाई नही दी। लगभग दस मिनट की अवधि में सभी विद्यार्थी कक्षावार पंक्तियों में खड़े हो गए। कुछ वरिष्ठ विद्यार्थी अभी भी छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों को उनके कद के अनुसार पंक्ति में आगे पीछे कर रहे थे। कुछ विद्यार्थी सभा स्थल पर नियत समय पर न पहुँचकर देर से पहुँचे। उन्होनें वहीं एक वृक्ष के नीचे अपने बस्ते रखे और वे अपनी-अपनी कक्षा की पंक्ति में अपने कद के अनुसार यथा स्थान पर खड़े हो गए। कक्षावार पंक्तियों में खड़े कुछ बच्चे एकदम चुपचाप खड़े थे और कुछ बच्चे बातचीत कर रहे थे, कुछ अपने बाल स्वभाव के अनुसार मनोरंजक अठखेलियाँ कर रहे थे, जैसे—एक-दूसरे के कंधों पर तबला बजाने का अभिनय करना, बालों में गाँठ बाँधना आदि। इसी बीच धीरे-धीरे अध्यापक स्टाफ कक्ष से बाहर निकले और सभा स्थल में इधर-उधर खड़े हो गए। मुख्य अध्यापिका भी अपने कक्ष से बाहर आईं। उनके बाहर आते ही बारह बच्चों का समूह अलग-अलग पंक्तियों से निकल कर बाहर आया। एक बच्चे ने प्रात:कालीन सभा स्थल पर पहले से रखा ड्रम सँभाला और ड्रम पर 'धप-धप' की थाप दी। इस थाप पर शेष सभी बच्चों ने 'सावधान' और 'विश्राम' जैसी क्रियाओं का अनुपालन किया। यह क्रिया चार बार दोहराई गई। 'विश्राम' की मुद्रा में आकर विद्यार्थियों ने समवेत स्वर में 'तू ही राम है तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा' गीत प्रारंभ किया। इस सामूहिक गान के दौरान एक बालिका वहीं मेज पर रखा हारमोनियम बजाने लगी और दूसरी बालिका तबला बजाने लगी।

सभी विद्यार्थी तन्मय भाव से हाथ जोड़कर तथा आँखें बंद करके गीत गा रहे थे। कुछ अध्यापक भी साथ में गीत गा रहे थे और कुछ अध्यापक निरीक्षण कर रहे थे। गीत की समाप्ति के बाद एक विद्यार्थी ने पुनः 'सावधान' तथा 'विश्राम' वाली क्रिया करने का निर्देश दिया और 'आज का समाचार वाचन' की घोषणा की। इस घोषणा पर पंक्ति में से निकलकर एक बालिका आगे आई। उसने एक कागज पर लिखे समाचारों को ऊँची आवाज में पढ़कर सुनाया।

समाचार वाचन के बाद वहीं पास ही खड़े एक अध्यापक ने पूरी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि "क्या कोई अन्य विद्यार्थी अपनी ओर से कुछ कहना चाहेंगे।" कक्षा आठ की पंक्ति से एक बालिका ने हाथ उठाया और आगे आकर बताया कि वह अपने मौहल्ले की आज की घटना सुनाना चाहती है। अनुमति मिलने पर उसने बहुत ही सहजता से बताया कि आज उसके घर के पास ही एक साइकिल-सवार व कार की टक्कर हो गई। इस स्थानीय समाचार के बाद उद्घोषणा हुई—'आज का विचार'। अब एक

विद्यार्थी जो पहले से हारमोनियम-तबले की मेज के पास खड़ा था, आगे आकर सभी को संबोधित करते हुए कहने लगा कि "मैं 'आज के विचार' के अंतर्गत कुछ तैयारी करके आया हूँ पर उसे नहीं सुनाकर अभी निकिता द्वारा साइकिल-सवार व कार की टक्कर पर अपनी बात रखना चाहूँगा। इस तरह की बहुत-सी सड़क दुर्घटनाएँ होने लगी हैं। हमें विचार करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है? लोग घर से तो समय पर निकलते नहीं फिर सड़कों पर तेजी दिखाते हैं। लाल बत्ती का भी ध्यान नहीं रखते हैं। बस जल्दी-जल्दी है, कहकर भाग-दौड़ करते हैं। हम बच्चों का तो ध्यान ही नहीं रखते। हमारे घर वाले चिंता करते हैं और अपना काम छोड़कर हमें विद्यालय पहुँचाने आते हैं। हमें सोचना होगा कि सड़क दुर्घटनाएँ कैसे कम हो सकती हैं?"

इस विद्यार्थी की सहज अभिव्यक्ति ने सभी को प्रभावित किया और तालियों की आवाज से उसके विचारों का स्वागत किया गया। इसके बाद राष्ट्रगान के लिए उद्घोषणा हुई। पुनः चार बार 'सावधान' व 'विश्राम' की क्रिया दोहराई गई। 'सावधान' की मुद्रा में आते ही सभी ने समवेत स्वर में राष्ट्रगान गाया। राष्ट्रगान के बाद सभा विसर्जन की उद्घोषणा हुई और ड्रम की थाप के साथ सभी विद्यार्थी अपनी-अपनी पंक्तियों में चलते हुए कक्षा की ओर चले गए।

इस प्रकार प्रातःकालीन सभा समाप्त हुई। सब कुछ बहुत ही अनुशासित और नियोजित रूप से हुआ। मुख्य अध्यापिका ने बताया कि सप्ताह में तीन बार सामूहिक शारीरिक शिक्षा की गतिविधियाँ भी यहीं पर करवाई जाती हैं और प्रतिदिन अलग-अलग गीत गवाए जाते हैं। विद्यार्थियों को पहले से ही पता रहता है कि किस दिन कौन-सा गीत गाना है।

### *दक्षिणी जिले का दूसरा विद्यालय*

अब आपके सामने इसी जिले के एक अन्य विद्यालय की प्रातःकालीन सभा का दृश्य प्रस्तुत है—

"टन-टन-टन" की आवाज हो रही है। कुछ विद्यार्थी विद्यालय के मुख्य द्वार पर खड़े हैं, कुछ कक्षाओं में हैं, कुछ पहले से ही सभा स्थल पर खड़े हैं। सभी इधर-उधर से सभा स्थल पहुँचते हैं। कुछ विद्यार्थी अपना उत्तरदायित्व समझते हुए स्वयं से अपनी कक्षा की पंक्ति बनाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। देर से आने वाले विद्यार्थी अपने बस्ते के साथ ही सभा स्थल पर खड़े हो जाते हैं। तभी सामने की ओर से गुरजती हुई आवाज आती है, "घंटी बजे कितनी देर हो गई। अभी तक प्रार्थना क्यों नहीं शुरू हुई?" इस आवाज के साथ ही सन्नाटा छा जाता है। एक प्रकार से तनाव भरी स्थिति उत्पन्न-सी प्रतीत होती है। विद्यार्थी हड़बड़ा कर अपनी-अपनी कक्षा की कतारों की ओर दौड़ते हैं जिसको जहाँ जगह मिलती है वहीं खड़े हो जाते हैं। इतनी देर में विद्यालय के मुख्य द्वार से कुछ और विद्यार्थी भागते हुए आ रहे हैं। एक अध्यापक उन्हें वहीं रोक देते हैं। उन्हें आदेश दिया जाता है कि प्रार्थना समाप्त होने तक वे वहीं खड़े रहेंगे, सजा के तौर पर।

स्टाफ कक्ष से एक अध्यापक बाहर आते हैं और प्रार्थना आरंभ करने का आदेश देते हैं। विद्यार्थी 'प्रार्थना शुरू कर' के आदेश पर 'दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना' गाने लगते हैं। इस गीत की समाप्ति के बाद 'राष्ट्रगान शुरू कर' की उद्घोषणा होती है। कुछ

विद्यार्थी सावधान की मुद्रा में हैं, कुछ अभी भी प्रार्थना करने की मुद्रा में अर्थात हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं और कुछ इधर-उधर देख रहे हैं। इसी स्थिति में सभी 'जन-गण-मन' गाने लगते हैं। राष्ट्रगान समाप्त होने के बाद अध्यापक द्वारा सभी को आदेश दिया जाता है कि वे अपनी-अपनी कक्षाओं में जाएँ। अब अध्यापक देर से आने वाले विद्यार्थियों को डाँटते हैं। उन्हें चेतावनी दी जाती है कि अगले दिन से वे समय पर पहुँचे।

विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के अंतर्गत अवलोकित इन प्रातःकालीन सभाओं का विश्लेषण और विवेचना किया जाए, तो यही तथ्य प्रस्तुत किया जाएगा कि प्रातःकालीन सभा के आयोजन के संदर्भ में प्रथम प्रस्तुति बहुत ही प्रभावशाली है और पाठ्यचर्यक लक्ष्यों तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशंसित एवं संवैधानिक मूल्यों को पाने की दिशा की ओर प्रवृत्त हैं और दूसरी प्रस्तुति एक प्रकार से इस महत्वपूर्ण गतिविधि की खानापूर्ति ही है। प्रथम प्रस्तुति को प्रभावशाली तथा लक्ष्योन्मुख कहने के संबंध में प्रमुख तर्क इस प्रकार हैं—

- **स्व-अनुशासन और नियमितता जैसे गुणों का विकास**—प्रातःकालीन सभा का प्रमुख उद्देश्य बच्चों में स्व-अनुशासन की भावना का विकास करना है और दैनिक क्रियाओं की नियमबद्धता के प्रति सजग करना है। प्रथम प्रस्तुति में छोटी-बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थी स्वतः ही सभा स्थल पर एकत्र हो रहे थे। वरिष्ठ कक्षाओं के विद्यार्थी छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों की सहायता कर रहे थे। सभी को पता था कि क्या और किस समय कैसे करना है। विद्यार्थी अध्यापकों के आदेश की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे विद्यालय की दैनिक गतिविधियों के नियमन के प्रति सचेत एवं सजग हैं।
- **सहयोग की भावना**—विद्यालयी पाठ्यचर्या का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य विद्यार्थियों में सहयोग और सद्भाव की भावना का विकास करना है। प्रथम प्रस्तुति में विद्यार्थियों में पारस्पारिक सहयोग की भावना बहुत ही स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही थी। कक्षावार पंक्तियों का निर्माण, सभास्थल पर संगीत वाद्ययंत्रों का रखा जाना, देर से आने वाले विद्यार्थियों के बस्तों को रखने के लिए स्थान नियत करना, यह सब इस ओर संकेत करता है कि प्रातःकालीन सभाएँ यदि सही रूप से आयोजित की जाएँ तो विद्यार्थियों में सहयोग की भावना विकसित की जा सकती है।
- **नेतृत्व कौशल का विकास**—विद्यालयी पाठ्यचर्या का एक उद्देश्य यह भी है कि विद्यार्थियों को अपने व्यक्तित्व को निखारने, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने और नेतृत्व कौशल को विकसित एवं संवर्धित करने के अवसर मिल सकें। प्रातःकालीन सभा के आयोजन इन कौशलों के विकास और संवर्धन के लिए अपार संभावनाएँ जुटाते हैं, जैसा कि प्रथम प्रस्तुति से परिलक्षित भी हुआ है। उद्घोषणा करने का कार्य, पंक्तियाँ बनाने का कार्य, निर्णय लेने का कार्य यह सब विद्यार्थियों द्वारा ही किया जा रहा था। अध्यापकों का हस्तक्षेप अथवा सहभागिता किसी भी चरण में नहीं देखी गई। सभी विद्यार्थी स्वत: स्फूर्त होकर

अपने-अपने दायित्वों का वहन कर रहे थे और नेतृत्व प्रदान कर रहे थे।

- **आवश्यक जीवन कौशलों का विकास एवं संस्कृति** — विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कतिपय जीवन कौशलों के विकास की अनुशंसा की गई है, जैसे — समालोचनात्मक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, निर्णय लेना, समस्या समाधान, प्रभावी संप्रेषण, स्वयं के प्रति सचेतना, तदानुभूति, भावनाओं से जूझना, तनाव से सकरात्मक रूप से जूझना, अंत: वैयक्तिक संबंध आदि। प्रातःकालीन सभाओं में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी उन्हें अवसर देती है कि वे इन आवश्यक जीवन कौशलों को सहजता के साथ आत्मसात कर सकें। जैसा कि प्रथम प्रस्तुति में परिलक्षित हो रहा है कि विद्यार्थी स्वयं के कर्तव्यों के प्रति सजग एवं सचेत थे, उन्हें बड़े समूह के सामने आकर अपनी बात कहने के अवसर मिल रहे थे और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि पहल करने के भी अवसर मिल रहे थे। सामान्यत: पर अनेक विद्यार्थी बड़े समूह के सामने अपनी बात रखने में संकोच का अनुभव करते हैं, उन्हें आशंका रहती है कि कहीं उनकी बात पर उनका उपहास तो नहीं उड़ाया जाएगा। प्रातःकालीन सभा विद्यार्थियों को अवसर देती है कि विद्यार्थी निडर और निर्भीक होकर आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कह सकें।
- **सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास एवं संवर्धन** — किसी भी विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से आते हैं और प्रत्येक विद्यार्थी अपने साथ अपने परिवार, घर और आस-पास के समाज से अर्जित और सीखी हुई सामाजिक, सांस्कृतिक तथा नैतिक मूल्यों का एक समृद्ध खजाना लेकर आता है। ये विविधताएँ विद्यालय के वातावरण को और भी समृद्ध और बहुरंगी बनाती हैं, जिससे विद्यार्थियों को न केवल अकादमिक ज्ञान मिलता है, बल्कि वे विभिन्न संस्कृतियों, दृष्टिकोणों और मूल्यों को समझने का भी अवसर प्राप्त करते हैं। इस प्रकार, विद्यालय एक ऐसा स्थान बन जाता है जहाँ विभिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाले विद्यार्थी एक दूसरे से सीखते हैं और एकजुट होकर सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक दृष्टिकोणों में समृद्धि प्राप्त करते हैं। प्रातःकालीन सभाओं में विद्यार्थियों को एक बड़े समूह के सामने अपने घर और परिवार की परंपराओं से जुड़ी व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करने का अवसर मिलता है। इस प्रक्रिया में सभी विद्यार्थी एक-दूसरे की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते और समझते हैं और बाद में इन अनुभवों पर विचार-विमर्श भी करते हैं। इससे न केवल वे एक-दूसरे की सांस्कृतिक धरोहर, आचार-व्यवहार, और परंपराओं को समझते हैं बल्कि वे एक-दूसरे के सकारात्मक गुणों और आदतों को भी अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। इस प्रकार, विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान और आपसी सम्मान की भावना विकसित होती है, जो उन्हें एक दूसरे से सीखने और एकजुट होने की दिशा में उत्साहित करती है।

इस अनुभव आधारित आलेख में प्रातःकालीन सभा की प्रथम प्रस्तुति में जिस विद्यार्थी ने अपने स्थानीय क्षेत्र में हुई दुर्घटना का उल्लेख किया, उससे

पता चलता है कि वह विद्यार्थी आस-पास के परिवेश में घटित हो रही घटनाओं के प्रति जागरूक है, सचेत और सजग है तथा उन पर चर्चा करके यातायात के नियमों के प्रति सभी को सचेत करना चाहता है। नैतिक मूल्यों के अवबोधन की यह एक प्रभावशाली बानगी है। अध्यापक विद्यार्थियों को नैतिक मूल्यों से जुड़े भिन्न-भिन्न प्रसंग सुनाने के लिए सुझाव दे सकते हैं। समाज में भिन्न-भिन्न प्रकार से योगदान देने वाले विद्वानों, पर्यावरणविदों, स्वतंत्रता सेनानियों के अभूतपूर्व योगदान का उल्लेख भी प्रातःकालीन सभा में किया जा सकता है।

सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण दिवसों का आयोजन किसी भी समाज, देश की सभ्यता एवं संस्कृति का विकास यूँ ही अचानक एक ही दिन में नहीं हुआ। अनेक विद्वान, मनीषियों ने अपने अथक प्रयासों से समाज को बेहतर से बेहतर बनाने की दिशा में कार्य किया है। उनके उल्लेखनीय कार्यों और योगदान की चर्चा लोगों में होती रहे, लोग उन कार्यों से प्रेरणा लेते रहें और उन कार्यों का महत्व समझें, इसके लिए उनकी जन्मतिथियों, उपलब्धियों आदि को 'महत्वपूर्ण दिवस' के रूप में मनाया जाता है। यद्यपि विद्यालयी पाठ्यचर्या में इन महत्वपूर्ण दिवसों के विशेष प्रकार से आयोजन करने की अनुशंसा की गई है, अनेक स्थितियों में प्रत्येक महत्वपूर्ण दिवस के लिए विशेष आयोजन करना संभव नहीं हो पाता। ऐसे समय में, 'प्रातःकालीन सभा' एक ऐसा अवसर है जब उन दिवसों को सामूहिक रूप से मनाया जा सकता है। अध्यापक कक्षावार विद्यार्थियों को उस दिवस के आयोजन से जुड़े उत्तरदायित्व एक सप्ताह पूर्व सौंप सकते हैं अथवा विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वे स्वयं ही सामूहिक रूप से उस दिवस विशेष के आयोजन की तैयारी करें और प्रभावशाली प्रस्तुति करें। उदाहरण के लिए, 'महत्वपूर्ण दिवस' मनाने का प्रयोजन क्या है? विद्यार्थी के नाते हमारा क्या योगदान हो सकता है आदि।

## प्रातःकालीन सभा के आयोजन से जुड़े कुछ सुझाव

यद्यपि प्रत्येक विद्यालय अपने स्थानीय, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार प्रातःकालीन सभा के आयोजन में होने वाली गतिविधियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं, तथापि कुछ महत्वपूर्ण बातें है जिनको ध्यान में रखना आवश्यक है, जो इस प्रकार हैं—

- **विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी**— प्रातःकालीन सभा के आयोजन का एक प्रमुख उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में समूह भावना, सहयोगात्मक दृष्टिकोण और आत्मनिर्भरता के गुण एवं कौशल विकसित हों। अतः यह आवश्यक है कि भिन्न-भिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु विद्यार्थियों को उत्तरदायित्व दिए जाएँ। बड़ी कक्षाओं के संदर्भ में यह हो सकता है कि उन्हें स्वयं निर्णय लेने दिया जाए कि कौन-सा विद्यार्थी कौन-सा उत्तरदयित्व लेना चाहेगा। उत्तरदायित्व देते समय अध्यापक किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह को सामने न लाएँ। प्रायः ऐसा देखा गया है कि कुछ विद्यार्थियों को ही महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व दिए जाते हैं। इस तरह से विविध गुणों का विकास केवल उन विद्यार्थियों तक ही सीमित रह जाता है, शेष विद्यार्थी वंचित

रह जाते हैं और उनमें कुंठा, ईर्ष्या जैसे भाव भी पनपने लगते हैं। अतः इस बात का सदैव ध्यान रखा जाए कि उत्तरदायित्वों का वितरण सामूहिक चर्चा द्वारा ही किया जाए।

- **अध्यापकों की उपस्थिति** — यद्यपि समस्त कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों द्वारा ही किया जाना चाहिए, तथापि सभी अध्यापकों से अपेक्षा है कि वे समग्र कार्यवाही के दौरान सभा स्थल पर उपस्थित रहें। कुछ विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों व शारीरिक शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अध्यापक ही प्रातःकालीन सभा में उपस्थित रहते हैं। इस सभा में होने वाली गतिविधियों के महत्व को समझते हुए सभी अध्यापकों को समग्र कार्यवाही के दौरान उपस्थित होना विद्यार्थियों व सभा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। अध्यापक की उपस्थिति विद्यार्थियों को यह संदेश देती है कि कक्षा-शिक्षण की तरह प्रात:कालीन सभा भी बहुत महत्वपूर्ण है।
- **एकरसता के विपरीत विविधता** — प्रायः यह देखा गया है कि एक अकादमिक सत्र के पहले दिन जो गतिविधियाँ प्रात:कालीन सभा में करवाई गई हैं, वे गतिविधियाँ ठीक उसी क्रम में समूचे अकादमिक सत्र में दोहराई जाती हैं। इस प्रकार से प्रातःकालीन सभा का आकर्षण समाप्त हो जाता है, विद्यार्थी इसमें रुचि से भाग न लेकर एक रसहीन परंपरा के रूप में इसमें भाग लेते हैं। प्रातःकालीन सभा के प्रति विद्यार्थियों का आकर्षण सतत रूप से बना रहे, वे प्रफुल्लित होकर इसमें भाग लें और तरह-तरह के नवाचार भी करें, इसके लिए गतिविधियों में नवीनता लाई जाए। जैसे कि कभी-कभी स्थानीय रूप से गाए जाने वाले नैतिक मूल्यों से जुड़े गीतों का सामूहिक गायन महत्वपूर्ण व्यक्ति का उद्‌बोधन, स्थानीय त्योहार को मनाने के महत्व पर चर्चा, किसी घटना विशेष पर विद्यार्थियों की विचार प्रस्तुति आदि।

***सभा के आयोजन हेतु सुरक्षित स्थान***

बहुत से विद्यालय प्रमुख प्रातःकालीन सभा के आयोजन के लिए उपयुक्त एवं सुरक्षित स्थान की समस्या की चर्चा करते हैं। प्रत्येक विद्यालय के पास खुला प्रागंण हो, यह जरूरी नहीं है। इस चुनौती का समाधान इस प्रकार से किया जा सकता है —

- यह आवश्यक नहीं कि विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को प्रतिदिन एक ही स्थान पर बुलाया जाए। विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए सप्ताह के किसी दिन कुछ कक्षाएँ सामूहिक रूप से प्रातःकालीन सभास्थल पर उपस्थित हों और शेष विद्यार्थी अपनी-अपनी कक्षाओं में ही सभा संबंधित गतिविधियों का आयोजन करें। इस प्रकार से बारी-बारी सभी विद्यार्थियों को प्रातःकालीन सभा स्थल पर आने का अवसर मिलेगा।
- ग्रीष्म ऋतु में अधिक तापमान की स्थिति, शीत ऋतु में कम तापमान की स्थिति, अचानक वर्षा का होना, मौसम से जुड़ी इन बातों को ध्यान में रखते हुए बरामदों में या कक्षाओं में गतिविधियों का आयोजन किया जा सकता है।
- अक्सर देखा गया है कि बहुत से अध्यापक प्रात:कालीन सभा को साधारणत: आयोजित करते हैं। उनका तर्क होता है कि उनके पास वाद्य यंत्र नहीं है, संगीत अध्यापक नहीं है। प्रात:कालीन सभाओं के आयोजन के लिए

यह सब होना अनिवार्य नहीं है। बिना वाद्ययंत्रों (जैसे — हारमोनियम, तबला इत्यादि) के बिना भी रोचक तरीके से प्रात:कालीन सभा आयोजित की जा सकती है। संगीत कला सत्रों में विद्यार्थियों को प्रार्थना गीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का अभ्यास करवाया जा सकता है। स्थानीय समुदाय से अभिभावकों को भी आमंत्रित करके प्रात:कालीन सभी की प्रभावशीलता का संवर्धन किया जा सकता है।

अंत में इस बात का उल्लेख करना बहुत ही आवश्यक है कि देर से पहुँचने वाले विद्यार्थियों को 'दंड' के रूप में पृथक रूप से पंक्ति बनाकर खड़े होने के लिए कहना उनकी मानवीय गरिमा को ठेस पहुँचा सकता है। यह बात सही है कि विद्यार्थियों को प्रातःकालीन सभा की घंटी बजने से पहले ही विद्यालय परिसर में उपास्थित होना चाहिए। अनेक स्थितियों जैसे कि शहरी क्षेत्रों में यातायात के साधन न मिलना या फिर किसी अन्य स्थिति के रहते यदि विद्यार्थी देर से पहुँचते हैं, तो उन्हें पहले से इस बात का संज्ञान हो कि वे गतिविधियों के संचालन में बिना किसी प्रकार का अवरोध पहुँचाए चुपचाप अपनी-अपनी कक्षा की पंक्ति में खड़े हो जाएँ। सभा के आयोजन के बाद उनसे देर से पहुँचने का कारण पूछा जा सकता है और यह भी चर्चा की जा सकती है कि विद्यालय में समय पर पहुँचने के लिए वे अपने व्यवहार में क्या-क्या बदलाव ला सकते हैं।

## निष्कर्ष

प्रस्तुत आलेख के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि विद्यालयी पाठ्यचर्या में प्रातःकालीन सभा केवल एक औपचारिक गतिविधि नहीं है, बल्कि यह विद्यार्थियों के पंचकोषीय विकास का एक सशक्त माध्यम है। यह सभा न केवल स्व-अनुशासन, नेतृत्व, सहयोग, आत्मविश्वास, नैतिकता और जीवन कौशल जैसे गुणों के विकास में सहायक है, बल्कि यह विद्यार्थियों को सामाजिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक मूल्यों से जोड़ने का अवसर भी प्रदान करती है।

प्रभावशाली प्रातःकालीन सभा में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी, नवाचार, नेतृत्व के अवसर, सांस्कृतिक समावेशन और शिक्षकों की उपस्थिति इसे अधिक सशक्त बनाती है। वहीं यदि इसे केवल खानापूर्ति की तरह किया जाए तो यह अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाती। अतः आवश्यक है कि प्रातःकालीन सभा को नियोजित, बाल-केंद्रित, सहभागी, विविधतापूर्ण और प्रेरणादायक बनाया जाए, ताकि यह विद्यार्थियों के समग्र विकास का सशक्त मंच बन सके।

## संदर्भ

रा.शै.अ.प्र.प. 2022. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा — बुनियादी स्तर 2022*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली.

शिक्षा मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.